an>

Title: Regarding projects under Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदया, अर्बन इफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमैंट की परियोजनाएं पहले भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से चलती थीं। विभिन्न प्रांतों में बहुत सारी योजनाएं इस स्कीम के अंतर्गत शुरू हुई थीं। हमारे राजस्थान में भी कुल मिलाकर 37 परियोजनाएं इस स्कीम के अंतर्गत सैंक्शन हुई और चालू हुई। उन परियोजनाओं को 80 प्रतिशत फंडिंग उस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती थी, 10 प्रतिशत स्टेट गवर्नमैंट देती थी और बची हुई 10 प्रतिशत राशि स्थानीय निकाय को देनी होती थी। पिछली सरकार के समय कुल मिलाकर ऐसी 37 परियोजनाएं राजस्थान में सैंक्शन हुई जिनकी कुल लागत 609 करोड़ रुपये थी। ठीक इसी तरह जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण के प्रोग्राम के तहत पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में ऐसी तीन परियोजनाएं राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और अजमेर में शुरू हुई। जो आधी परियोजनाएं हो चुकी थीं, स्टेट गवर्नमैंट अपनी राशि लगा चुकी है, निकाय भी लगा चुकी है, केन्द्र सरकार पहली किश्त की राशि दे चुकी थी, लेकिन वर्तमान में जो अमृत योजना को लिंक कर दिया गया है, उसके कारण स्थानीय निकाय पर प्रदेशभर में लॉयबिलिटीज़ खड़ी हो गई और सारे प्रोग्राम बीच में रुके हुए हैं। भारत सरकार ने तय कर दिया है कि अब हम अमृत योजना के फंडिंग पैटर्न के अनुरूप केवल 10 प्रतिशत राशि ही उन निकायों को देंगे। यदि 10 प्रतिशत निकायों को राशि दी जाएगी तो न तो वे योजनाएं पूरी हो पाएंगी और जिस मोटिव के साथ हम शहरों का विकास करना चाहते हैं, न ही वह मोटिव पूरा हो पाएगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार इसकी पुन:समीक्षा की जानी चाहिए। राजस्थान और राजस्थान जैसे अन्य प्रदेशों में इस निर्णय को बदलने के कारण जिस तरह की लॉयबिलिटी खड़ी हो गई है, एक बार जो लॉयबिलिटीज़ खड़ी हैं, उन्हें पूरा कर दिया जाए, उसके बाद अमृत के फंडिंग पैटर्न के हिसाब से यदि काम किया जाएगा तो स्थानीय निकायों को शहरों के संसाधनों के सुदृढ़ीकरण में आसानी होगी और सहूलियत भी होगी। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री पी.पी.चौधरी,

श्री सी.आर.चौधरी,

श्री चन्दू प्रकाश जोशी,

कुँवर पुÂपेन्द्र सिंह चन्देल,और

श्री अर्जुन लाल मीणा को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।